Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ.) का उप निरीक्षक 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 जनवरी*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की एसआईडब्ल्यू जयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये श्री सुनिल कुमार उप निरीक्षक रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ) चौकी प्रभारी कनकपुरा, जयपुर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एसआईडब्ल्यू जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि चोरी के प्रकरण में उसे गिरफ्तार नही करने की एवज में सुनिल कुमार उप निरीक्षक रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ) चौकी प्रभारी कनकपुरा, जयपुर द्वारा 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एसआईडब्ल्यू जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री चित्रगुप्त महावर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुनिल कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी कांकडीवाला मलसीसर जिला झुन्झुनु हाल उप निरीक्षक रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ) चौकी प्रभारी कनकपुरा, जयपुर को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।